

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE,
COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION NOTIFICATIONS**

**THE DEPUTY MINISTER IN
THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE,
COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI
D. ERING):** Sir, I beg to lay on the
Table:—

- (a) a copy each of the following
Notifications of the Ministry
of Food, Agriculture, Community
Development and
Cooperation (Department of
Food):—

(i) Notification G.S.R. No.
187, dated the 7th February,
1967, publishing the Rice-Milling
Industry (Regulation and Licensing)
Amendment Rules, 1967, under
sub-section (4) of section 22 of the
Rice-Milling Industry (Regulation)
Act, 1958. [Placed in Library, See
No. LT-28/67.]

(ii) Notification G.S.R. No.
297, dated the 3rd March, 1967
publishing the Food Corporation
(Tenth Amendment) Rules, 1967
under sub-section (3) of section 44
of the Food Corporations Act, 1954.
[Placed in Library, See No. LT-
107/67.]

(iii) A copy each of four
Notifications, under sub-section
(6) of section 3 of the Essential
Commodities Act, 1955. [Placed
in Library, See No. LT-107/67.]

- (b) a copy of the Ministry of
Food, Agriculture, Community
Development and Co-operation
(Department of Agriculture)
Notification S.O. No. 3882, dated
the 15th December, 1966, issued
under 4 of the Agricultural Produce
Cess Act, 1940. [Placed in
Library, See No. LT-32/67.]

**ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1965-
66) OF THE CENTRAL WAREHOUSING
CORPORATION, NEW DELHI AND RELATED
PAPERS**

SHRI D. ERING: Sir, I also beg to
lay on the Table a copy of the Annual
Report and Accounts of the Central
Warehousing Corporation, New Delhi,
for the year 1965-66, together with
the Auditors' Report on the Accounts,
under sub-section (11) of section 31
of the Warehousing Corporations Act,
1962. [Placed in Library, See No. LT-
27/67.]

**REVIEW OF THE FOOD AND SCARCITY
SITUATION IN INDIA**

SHRI D. ERING: Sir, I also beg to
lay on the Table a copy of the Review
of the Food and Scarcity Situation in
India. [Placed in Library, See No. LT-
98/67.]

**ANNUAL REPORT (1965-66) OF THE
KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
COMMISSION, BOMBAY**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF COMMERCE (SHRI
M. SHAFI QURESHI):** Sir, I beg to
lay on the Table a copy of the Annual
Report of the Khadi and Village
Industries Commission, Bombay, for
the year 1965-66, under sub-section
(3) of section 24 of the Khadi and
Village Industries Commission Act,
1956. [Placed in Library, See No. LT-
117/67.]

**SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR
GRANTS FOR EXPENDITURE
OF THE GOVERNMENT OF
RAJASTHAN FOR THE YEAR
1966-67.**

MR. CHAIRMAN: Shri Morarji
Desai.

श्री गोडे मराहिर (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमन्, मुझे आपत्ति है कि ये पेपर्स यहां सदन
की मेज़ पर रखे जायें; क्योंकि पिछले हफ्ते
यहां पर बहस हुई थी और यह करीब करीब
तय था कि जब तक इस सदन की इजाजत
नहीं मिलती है और प्रेसीडेंट का जो प्रो-
क्लमेशन राजस्थान के बारे में है, उस पर बहस

नहीं हो जाती तब तक इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आ सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस बजट को यहां पर रखने की इजाजत न दें जब तक कि हमारे सदन में इस बारे में बहस न हो जाय।

MR. CHAIRMAN: I am afraid I have to see according to the conditions as they exist. The Proclamation is valid at this time. Whatever we are doing is consequential.

श्री गोडें मुराहरी : जब तक सदन द्वारा इस प्रोक्लेमेशन के बारे में एप्रुवल न हो जाय, तब तक बजट को नहीं रखा जा सकता है। अगर सेशन समाप्त हो जाता है, तो प्रोक्लेमेशन चालू रहता। लेकिन सदन यहां पर चालू है और उसको चालू हुए एक हफ्ता हो गया है और फिर भी सरकार यहां पर आकर इजाजत नहीं लेती है।

MR. CHAIRMAN: This matter has been discussed and the Resolution has come for the revocation of the Proclamation. When that is decided we will see.

श्री गोडें मुराहरी : इसलिये मैं चाहता हू कि जब तक बहस न हो, इस सदन का एप्रुवल न मिले तब तक बजट को यहां पर रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

MR. CHAIRMAN: I have allowed it to be laid.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरी बात भी इसी से ताल्लुक रखती है। जब सदन तीन दिन के लिये उठा था, तो इस मामले पर आधा घंटा डिसकशन हो चुका था। आप देखेंगे कि आपकी ही इजाजत से एक रेजोल्यूशन दिया गया था और हम लोगों का एक रेजोल्यूशन हुआ।

श्री सभापति : मैंने वादा किया है कि मैं देखूंगा।

श्री राजनारायण : जब आपने हमारे रेजोल्यूशन को एडमिट कर लिया है।

श्री सभापति : नहीं, मैंने एडमिट नहीं किया है।

श्री राजनारायण : आप कह रहे हैं कि एडमिट कर लिया है।

श्री सभापति : अगर एडमिट कर लिया है तो उसके लिए टाइम रखना होगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया (मध्यप्रदेश) : रेजोल्यूशन एडमिट कर लिया है, मगर टाइम नहीं रखा है।

MR. CHAIRMAN: We are having our Business Advisory Committee meeting. We will discuss it and see how that is disposed of.

श्री राजनारायण : हमारी एक जैनुइन रिक्वेस्ट है, उसको सुन लिया जाये और वह यह है कि इस रेजोल्यूशन को एडमिट करने का महत्व ही क्या है, इसको एडमिट करने का महत्व ही शून्य हो जायेगा, अगर श्री मोरारजी द्वारा पटल पर रखे पूरक अनुदान पर चर्चा हो जाये और उसके बारे में सदन की एक राय हो जाये। फिर इस रेजोल्यूशन का सिगनिफिकेन्स क्या रह जाता है, जिसके जरिये सदन चाहता है कि राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जाये। यह जो राजस्थान के बारे में आर्डिनेंस है वह महत्व का है और इसीलिए आपसे अर्ज है कि आपने जब इसकी इम्पोर्टेंस को देखकर इसको एडमिट किया है, तो महज दिन निश्चित करने का बात रह जाती है। इसलिए ऐसा कोई दिन निश्चित कर दें और उसके बाद इस चीज को लिया जाये।

श्री सभापति : इसको पास हो जाने दीजिये और मेरे खयाल में कोई हर्ज नहीं होगा। जब कोई रेजोल्यूशन पास हो जायेगा, तो उसके जो कान्सिक्वेन्सेज हैं, वे पूरे हो जायेंगे।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): It is contradictory.

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): We have all signed the Resolution. That Resolution has been admitted. The Resolution should be discussed first before the Budget is taken up for consideration.

MR. CHAIRMAN: In the first place, this is not the Rajasthan Budget. The Rajasthan Budget will be placed there and then it will be placed here. The next item I will not put before you now. I will put it after 1.30. Mr. Morarji Desai.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): Mr. Chairman, I thought you had just advised us to place these papers after 1.30.

MR. CHAIRMAN: You can do it at 1.30.

STATEMENT BY MINISTER RE. DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENT AND THE EMPLOYEES OF "THE TIMES OF INDIA" AT BOMBAY AND DELHI

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI L. N. MISRA): Sir, on the 23rd March, 1967, the Minister of Labour and Rehabilitation had made a statement in the House about the dispute between the management and the employees of the Times of India at Bombay and Delhi. He had then stated that negotiations between the two sides were in progress and he hoped that they would reach an amicable settlement.

I am happy now to state that as a result of further discussions and negotiations between the two sides, a settlement has been reached. The strike has been withdrawn and the lock out lifted and normal work at Bombay and Delhi has been resumed. The papers are likely to commence publication from tomorrow.

RE A POINT OF PRIVILEGE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे अर्ज करना है। एक तो हमने यह श्रीमती स्वेतलाना के संबंध में श्री चागला जी पर विशेषाधिकार का सवाल उठाया था, जिसके बारे में . . .

श्री सभापति : आप मुझ से कह चुके हैं और मैं जानता हूँ कि आपने रेजोल्यूशन भेजा है प्रिविलेज का और उसको मैंने मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया है। उन्होंने उसके बारे में मुझे पूरी मुफत्सल भेजी है।

I am satisfied that he has not misled the House and, therefore, I have not allowed the privilege motion. I have withheld it.

इसके बाद अगर आपको कुछ इन्फार्मेशन कहनी है, तो कह दीजिये और मिनिस्टर साहब को इत्तिला दे दीजिये और उसके बाद कार्यवाही होगी।

You have written to me, I understand, but I have not read the letter yet. I will pass it on to the Minister and he will take necessary action.

श्री राजनारायण : हमें केवल इतना अर्ज करना है कि इसको चाहे एक प्वाइंट आफ ऑर्डर के रूप में जरा खयाल करें। हमने एक प्रिविलेज मोशन दिया किसी कंसर्न मंत्री के बारे में। उस कंसर्न मंत्री ने वही जवाब आपको और इस सदन को दिया था और उससे आप सैटिसफाई हो गये। क्या एनी स्टेज में आपके सामने इस बात की जरूरत भी आई कि आप इस गरीब से भी पूछें, इस गरीब ने जो प्वाइन्ट लिया है, उसके बारे में उसका क्या कहना है। अगर ऐसा नहीं है . . .

श्री सभापति : मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई।

श्री राजनारायण: जरा सुन लिया जाये। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जाये, जिससे श्रीमन्, आपको इसकी जरूरत महसूस हो।